

# आदेश - पत्रक

16-17

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक..... ता० ..... से ..... तक

आदेश सं० 18116-13 सन 16-17 जिला-राँची।

केस का प्रकार:- नापी के संबंध में

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1	2	3												
28.3.17	<p>आवेदनक जमोति 51144 माली मिना- मधुनी मण माली 210 मांशंग कीरी पौ- वारेंदा धान- डोनापुर जिला राँची ने नापी हेतु आवेदन दिता है आवेदन को हमका कर्मचारी को जाँच में है जमीन का निपटारी मोजा</p> <p>मांशंग कीरी</p> <table> <tr> <td>102</td> <td>85</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>85</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>85</td> <td>3.66</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.33</td> </tr> </table> <p>अंचल अधिकारी डोनापुर</p>	102	85	2.00	102	85	2.00	102	85	3.66			0.33	
102	85	2.00												
102	85	2.00												
102	85	3.66												
		0.33												
13.4.17	<p>अभिलेख जांचासित हमका कर्मचारी एवं मंजूर निरीक्षण</p>													



का जॉन फिलिपस जे मोजा मारांगकी  
के खाता नं०- 102 L ला 2 नं०- 85-

102  
102

85  
85

2-200

3-16 200

0.3320

5.99 200

मुनि मांग पंजी 15 से मधुमी खाता  
मारी वगेरह के नाम से जाना वंदी  
दर्ज है आवेदनक द्वारा नामी आवेदन  
जमा किया लेकिन बिपरी दी नव नहु  
मारी दिन - गणेश मारी गान  
मारांग कीदी द्वारा आपति दिया है  
दोनों पक्ष को मोटिव निर्गत कर

मंजूर 30/05/17  
खोनालु

10-5-17

अभिनेता उपलब्धतिर दो नो पक्ष  
उपलब्धतिर दिनांक - 30-5-17 को 2 वर

मंजूर 30/05/17  
खोनालु



30.5.17

अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा बताया गया कि भौजा भरांगकीरी के खाता न०-102 प्लॉट न०-85 कुल रकमा 7.98 एकड़ है जिसका रकम (1) लक्ष्मी चरण भट्टो (2) कार्तिक भट्टो (3) शुभ भट्टो (4) गणेश भट्टो पिता कुड़ भट्टो ग्राम भरांगकीरी पोस्ट वारेन्स थाना सोनहाट्टे का निवासी हैं। इस विषय में कहना है कि इस रकमा को चार हिस्से में बाँटकर बराबर बटवारा करने की आवश्यकता है। तथा उक्त खाता के रकमा को बराबर हिस्से बटवारा करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में लिखित ध्यान भी दिया गया है।

प्रथम पक्ष के ज्योति प्रसाद भट्टो के द्वारा लिखित आवेदन दिया है कि भौजा भरांगकीरी के खाता न०-102 प्लॉट न०-85 रकमा 5.99 एर को अंचल अमीन से नापी कराकर सीमा रेखा निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

रूल्स कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भौजा भरांगकीरी के खाता न०-102 प्लॉट न०-85 कुल रकमा 5.99 एकड़ भूमि भोग पंजी में लक्ष्मी चरण भट्टो वैंगर के नाम से जमाबंदी दर्ज है।

पुनः रूल्स कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि गैरप्रजल्डा खास से संबंधित है। आवेदक द्वारा सादा हुकुमनामा दिया है जो अभिलेख में संलग्न है तथा इसकी वैधता का जाँच करना संभव नहीं है। साथ ही आवेदक द्वारा बटवारा से संबंधित आवेदन दिया है। जो कि अंचल कार्यालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

अतः प्रश्नगत भूमि का नापी कर बटवारा करना विधि संमत नहीं है।

दोनों पक्षों के ध्यान को सुना एवं दोनों पक्षों



के लिखित ध्यान एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया एवं हल्का कर्मचारी के आवेदन का भी अवलोकन किया। अवलोकन करने से पता चलता है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजदूरी खास भूमि है जो खास हुकुमनामा से प्राप्त है। जिसकी वैधता का ज्ञापन करना सम्भव नहीं है। दोनो पक्षों के द्वारा लिखित आवेदन दिया है कि प्रश्नगत भूमि के रकबा को बराबर हिस्से में बंटवारा कर दिया जाए जो कि अंचल के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दिये गये सिंक्रान्त आवेदन को खारिज किया जाता है। तथा दोनो पक्षों के भूमि बंटवारे के लिए सक्षम न्यायालय में जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है। सिंक्रान्त काद सं-18/1617 कारवाई संपाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संगोषित

अंचल अधिकारी  
खोनाशतु।  
अंचल अधिकारी  
खोनाशतु।